न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 16/22 सन् 2022

GCMS NO-2022/233

बउनवानीः– 1. बाबूलाल सैनी पुत्र गोपी जाति माली निवासी पीपलवाडा हाल नि.गणेशपुरा
2. सीताराम सैनी पुत्र गोपी जाति माली निवासी पीपलवाडा, तह० व जिला स०माधोपुर हाल निवासी गणेशपुरा, लाखेरी जिला बून्दी।
3. सीताबाई पुत्री गोपी पत्नी बाबूलाल सैनी उम्र 53 साल जाति माली निवासी पीपलवाडा, स०मा० हाल निवासी गणेशपुरा, लाखेरी जिला बून्दी।
4. शान्ती पुत्री गोपी पत्नी बदरी उम्र 64 वर्ष जाति माली निवासी पीपलवाडा, स०मा० हाल निवासी आमली जिला टोंक।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 21.01.1978 वाके ग्राम पीपलवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री मोती सिंह राठौड वकील अपीलान्टगण
2. श्री तोफिक मोहम्मद पैरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 25..2.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 282 दिनांक 21.01.1978 वाके ग्राम पीपलवाडा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात लिखित बहस वकील अपीलान्ट का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट्स के पिता गोपी पुत्र नानगा के नाम दिनांक 21.01.1978 को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व ग्राम पीपलवाडा, पटवार हल्का खांजना डूंगर तहत तहसील व जिला सवाई माधोपुर की राजस्व सीमा में स्थित पुराना खसरा नं० 570/1 जिसके नये ख०नं० 1415 अलोटमेन्ट हुई थी जिसका अंकन नामान्तरकरण पंजिका संख्या 282 में गोपी पुत्र नानगा के नाम से नियमन पाया गया और इस आधार पर नामान्तरकरण खोला गया लेकिन नामान्तरकरण पंजिका में कॉलम नं० 11 में कृषक का नाम विवरण में गोपी पुत्र नानगा ना करके गोपी, नानगा पिता घासी माली दर्ज किया गया तथा इसी आधार पर आगे खातेदारी दर्ज हो गयी। जबकि गोपी व नानगा पिता पुत्र है जबकि नामान्तरकरण पंजिका में कॉलम संख्या 11 कृषक का नाम गोपी पुत्र नानगा की बजाये गोपी, नानगा पिसरान घासी माली दर्ज किया गया जबकि गोपी नानगा भाई, भाई ना होकर पुत्र पिता है तथा घासी माली नाम का पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं हैं। अपीलान्ट के पिता गोपी की मृत्यु दिनांक 23.06.2005 को तथा माता कंचन की मृत्यु दिनांक 17.08.2016 को हो चुकी है तथा उक्त भूमि के वर्तमान में जायज, मौजूद व जीवित वारिसान मात्र अपीलान्ट ही है। अपीलान्ट बालिग होने से ही ग्राम लाखेरी जिला बून्दी में निवासी करते हुये चले आ रहे है, अपीलान्ट के माता पिता सदैव से ही ग्राम पीपलवाडा में निवास करते आ रहे थे तथा समय–समय पर अपीलान्ट भी अपने गांव आकर खेती बाडी की सार–सम्भाल करते रहते है। अपीलान्ट के माता पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स द्वारा उक्त खसरा नं० पुराना 570/1 तथा नये खसरा नं० 1415 राजस्व ग्राम पीपलवाडा तह० व जिला स०मा० को सांझे बांटे पर समाज के व्यक्ति को ही काश्त हेतु सम्बला देते थे तथा अपना हिस्सा तैयार होने पर ले जाते थे।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 16/2022 उनवानी बाबूलाल बनाम सरकार वगै.)

अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु दिनांक 13.10.2022 को पटवारी हल्का खांजना डूंगर से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके खाते में गोपी व नानगा अलग–अलग दो भाई हो रखे है तथा इनके पिता का नाम घासी हो रखा है उसके बाद अपीलान्ट द्वारा नकल विभाग में पुराना रिकॉर्ड निकलवाने के लिये सम्पर्क किया तथा दिनांक 17.10.2022 को पुराना रिकॉर्ड प्राप्त होने तथा 31.10.2022 को पटवारी हल्का से वर्तमान की जमाबन्दी लेने पर अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण में कृषक का नाम गलत होने की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुयी तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील दिनांक 17.10.2022 को सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर व पटवारी हल्का से वर्तमान जमाबन्दी दिनांक 31.10.2022 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर मियाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 21.01.1978 में नामान्तरकरण पंजिका के कॉलम संख्या 11 में अंकित गोपी, नानगा पिता घासी माली को निरस्त करते हुये अपीलान्ट के पिता गोपी पुत्र नानगा के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यद्यपि अपील अपीलान्ट मयाद बाहर पेश की गयी है किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार साबिक ख0न0 570/1 रकबा 27बीघा 6 बिस्वा में से ख0न0 570/1/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन/नियमन दिनांक 18.2.1969 को गोपी–रखा पुत्र नानगा के नाम किया गया है। उक्त आवंटन आदेश/नियमन आदेश की पालना आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 282 भरा गया है जिसमे गोपी–रखा पुत्र नानगा के स्थान पर कॉलम संख्या 11 में गोपी, नानगा पिता घासी का नाम भरा गया है जो नियमन आदेश के अनुसार नही है। यदि उक्त नामा0 को आवंटन आदेश/नियमन आदेश के अुनसार गोपी रखा पिता नानगा के नाम से भरा जाता है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होगा।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक 7472 दिनांक 29.7.2025 व सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार उनके पिता गोपी पुत्र नानगा के नाम आवंटन हुआ है किन्तु आदेश जैर अपील गोपी पुत्र नानगा के बजाय गोपी,नानगा पिता घासी के नाम भरा गया है जो गलत है इसलिए उक्त नामा0 मे आवंटन /नियमन आदेश के अनुसार भरवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आवंटन आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि साबिक ख0न0 570/1/2 का आवंटन गोपी–रखा पुत्र नानगा के नाम किया गया है किन्तु आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 282 गोपी पुत्र नानगा के नाम भरकर दर्ज फैसल किया गया है जो आवंटन आदेश के मुताबिक नही भरा गया है जिसके कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 18.2.1968 के अनुसार नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner